सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
वैशाख 14, गुरूवार, *शाके* 1945-मई 04, 2023 *Vaisakha 14, Thursday , Saka 1945- May 04, 2023*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

जन अभियोग निराकरण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 03, 2023

जी.एस.आर.20 :-राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं० 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0 प. 13 (1) प्र.सु. / सम/अनु-1 / 2008 दिनांक 5 अक्टूबर 2011, समय समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में,

संशोधन

(1) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 3क के सामने कॉलम संख्या 3 के,

(i) क्रम संख्या 5 के सामने कॉलम 5 की विद्यमान अभिव्यक्ति "प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के एक सप्ताह में" के स्थान पर अभिव्यक्ति " प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के एक माह में" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(ii) क्रम संख्या 6 के सामने कॉलम 5 की विद्यमान अभिव्यक्ति "प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के एक सप्ताह में" के स्थान पर अभिव्यक्ति "प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के एक माह में" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(iii) क्रम संख्या 19(30) के सामने कॉलम 5 की विद्यमान अभिव्यक्ति "प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 7 दिवस में" के स्थान पर अभिव्यक्ति "प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 15 दिवस में " प्रतिस्थापित की जायेंगी; और

(iv) क्रम संख्या 19(31) के सामने कॉलम 5 की विद्यमान अभिव्यक्ति "प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 7 दिवस में" के स्थान पर अभिव्यक्ति " प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 15 दिवस में" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(2) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 8 के सामने कॉलम संख्या 3 की क्रम संख्या 49ए के सामने,

(i) कॉलम संख्या 6 की विद्यमान अभिव्यक्ति "निरीक्षक / सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(ii) कॉलम संख्या 7 की विद्यमान अभिव्यक्ति "उप नियंत्रक विधिक माप विज्ञान" के स्थान पर अभिव्यक्ति "निरीक्षक विधिक माप विज्ञान' प्रतिस्थापित की जायेंगी; और

(iii) कॉलम संख्या 8 की विद्यमान अभिव्यक्ति "संयुक्त नियंत्रक / अतिरिक्त नियंत्रक विधिक माप विज्ञान" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उप नियंत्रक / संयुक्त नियंत्रक / अति. नियंत्रक विधिक माप विज्ञान" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(3) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 9 के सामने कॉलम संख्या 3 के,

(i) क्रम संख्या 50 के सामने कॉलम संख्या 9 में विद्यमान प्रविष्टि " अतिरिक्त महानिरीक्षक पुलिस (आई.बी.) राजस्थान" के स्थान पर अभिव्यक्ति " महानिदेशक/अति. निदेशक पुलिस (इन्टेलिजेंस) राजस्थान" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(ii) क्रम संख्या 51 के सामने कॉलम संख्या 9 में विद्यमान प्रविष्टि "अतिरिक्त महानिरीक्षक पुलिस (आई.बी.) राजस्थान" के स्थान पर अभिव्यक्ति " महानिदेशक / अति. महानिदेशक पुलिस (इन्टेलिजेंस) राजस्थान" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(iii) क्रम संख्या 52 के सामने कॉलम संख्या 9 विद्यमान प्रविष्टि "अतिरिक्त महानिरीक्षक पुलिस (आई.बी.) राजस्थान" के स्थान पर अभिव्यक्ति "महानिदेशक / अति. महानिदेशक पुलिस (इन्टेलिजेंस) राजस्थान" प्रतिस्थापित की जायेंगी; और

(iv) क्रम संख्या 53 के सामने विद्यमान कॉलम संख्या 8 में विद्यमान प्रविष्टि " संबंधित अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त / अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "संबंधित सहायक पुलिस उपायुक्त/वृत्ताधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(4) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 11 के सामने कॉलम संख्या 3 के,

(i) क्रम संख्या 62 के सामने कॉलम संख्या 8 में विद्यमान प्रविष्टि " निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग" के स्थान पर अभिव्यक्ति "निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग " प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(ii) क्रम संख्या 63 के सामने कॉलम संख्या 8 में विद्यमान प्रविष्टि " संबंधित संयुक्त निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग" के स्थान पर अभिव्यक्ति "संबंधित अतिरिक्त निदेशक क्षेत्रिय कार्यालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग जिस क्षेत्रिय कार्यालय में मूल पत्रावली संधारित की जा रहीं है" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(iii) क्रम संख्या 63 के सामने कॉलम संख्या 9 में विद्यमान प्रविष्टि "निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग" के स्थान पर अभिव्यक्ति " निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग " प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(iv) क्रम संख्या 64 के सामने कॉलम संख्या 8 में विद्यमान प्रविष्टि "संबंधित संयुक्त निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जहां कही भी प्रयुक्त हुई हैं" के स्थान पर अभिव्यक्ति "संबंधित अतिरिक्त निदेशक क्षेत्रिय कार्यालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग जिस क्षेत्रिय कार्यालय में मूल पत्रावली संधारित की जा रहीं है" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(v) क्रम संख्या 64 के सामने कॉलम संख्या 9 में विद्यमान प्रविष्टि " निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग", जहां कही भी प्रयुक्त हुई हैं, के स्थान पर अभिव्यक्ति "निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(vi) क्रम संख्या 65 के सामने कॉलम संख्या 8 में विद्यमान प्रविष्टि "संबंधित संयुक्त निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग" के स्थान पर अभिव्यक्ति " संबंधित अतिरिक्त निदेशक क्षेत्रिय कार्यालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग जिस क्षेत्रिय कार्यालय में मूल पत्रावली संधारित की जा रहीं है" प्रतिस्थापित की जायेंगी; और

(vii) क्रम संख्या 65 के सामने कॉलम संख्या 9 में विद्यमान प्रविष्टि " निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग" के स्थान पर अभिव्यक्ति "निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(5) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 13 के सामने कॉलम संख्या 3 के,

(i) क्रम संख्या 68 के सामने कॉलम संख्या 8 में विद्यमान प्रविष्टि " सचिव जविप्रा / जोविप्रा सचिव, नगर सुधार न्यास" के स्थान पर अभिव्यक्ति " सचिव, विकास प्राधिकरण / सचिव, नगर सुधार न्यास" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(ii) क्रम संख्या 68 के सामने कॉलम संख्या 9 में विद्यमान प्रविष्टि "आयुक्त, जविप्रा / जोविप्रा अध्यक्ष नगर सुधार न्यास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयुक्त, विकास प्राधिकरण / चैयरमेन, नगर सुधार न्यास" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(iii) क्रम संख्या 69 के सामने कॉलम संख्या 8 में विद्यमान प्रविष्टि "सचिव जविप्रा / जोविप्रा एवं सचिव, नगर सुधार न्यास" के स्थान पर अभिव्यक्ति " सचिव, विकास प्राधिकरण / सचिव, नगर सुधार न्यास" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(iv) क्रम संख्या 69 के सामने कॉलम संख्या 9 में विद्यमान प्रविष्टि "आयुक्त, जविप्रा / जोविप्रा एवं अध्यक्ष नगर सुधार न्यास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयुक्त, विकास प्राधिकरण / चैयरमेन, नगर सुधार न्यास" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(v) क्रम संख्या 70 के सामने कॉलम संख्या 8 में विद्यमान प्रविष्टि " सचिव जविप्रा / जोविप्रा एवं सचिव, नगर सुधार न्यास" के स्थान पर अभिव्यक्ति " सचिव, विकास प्राधिकरण / सचिव, नगर सुधार न्यास" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(vi) क्रम संख्या 70 के सामने कॉलम संख्या 9 में विद्यमान प्रविष्टि "आयुक्त, जविप्रा / जोविप्रा एवं अध्यक्ष नगर सुधार न्यास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयुक्त, विकास प्राधिकरण / चैयरमेन, नगर सुधार न्यास" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(vii) क्रम संख्या 71 के सामने कॉलम संख्या 8 में विद्यमान प्रविष्टि "सचिव जविप्रा / जोविप्रा एवं सचिव, नगर सुधार न्यास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सचिव, विकास प्राधिकरण / सचिव, नगर सुधार न्यास" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(viii) क्रम संख्या 71 के सामने कॉलम संख्या 9 में विद्यमान प्रविष्टि "आयुक्त, जविप्रा / जोविप्रा एवं अध्यक्ष नगर सुधार न्यास" के स्थान पर अभिव्यक्ति " आयुक्त, विकास प्राधिकरण / चैयरमेन, नगर सुधार न्यास' प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(ix) क्रम संख्या 72 के सामने कॉलम संख्या 5 में विद्यमान प्रविष्टि " 90 दिवस (पूर्ण एवं समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर) के स्थान पर अभिव्यक्ति "45 दिवस (पूर्ण एवं समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने पर) " प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(x) क्रम संख्या 72 के सामने कॉलम संख्या 8 में विद्यमान प्रविष्टि " सचिव जविप्रा / जोविप्रा एवं सचिव, नगर सुधार न्यास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सचिव, विकास प्राधिकरण / सचिव, नगर सुधार न्यास" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(xi) क्रम संख्या 72 के सामने कॉलम संख्या 9 में विद्यमान प्रविष्टि "आयुक्त, जविप्रा / जोविप्रा एवं अध्यक्ष नगर सुधार न्यास' के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयुक्त, विकास प्राधिकरण / चैयरमेन, नगर सुधार न्यास" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(xii) क्रम संख्या 73 के सामने विद्यमान कॉलम संख्या 5 में विद्यमान प्रविष्टि " 60 दिवस (पूर्ण एवं समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "30 दिवस (पूर्ण एवं समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने पर)" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(xiii) क्रम संख्या 73 के सामने कॉलम संख्या 8 में विद्यमान प्रविष्टि सचिव जविप्रा/ जोविप्रा एवं सचिव, नगर सुधार न्यास " के स्थान पर "अभिव्यक्ति सचिव, विकास प्राधिकरण / सचिव, नगर सुधार न्यास" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(xiv) क्रम संख्या 73 के सामने कॉलम संख्या 9 में विद्यमान प्रविष्टि " आयुक्त, जविप्रा / जोविप्रा एवं अध्यक्ष नगर सुधार न्यास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयुक्त, विकास प्राधिकरण / चैयरमेन, नगर सुधार न्यास" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(xv) क्रम संख्या 74 के सामने कॉलम संख्या 8 में विद्यमान प्रविष्टि " सचिव जविप्रा / जोविप्रा एवं सचिव, नगर सुधार न्यास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सचिव, विकास प्राधिकरण / सचिव, नगर सुधार न्यास" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(xvi) क्रम संख्या 74 के सामने कॉलम संख्या 9 में विद्यमान प्रविष्टि " आयुक्त, जविप्रा / जोविप्रा एवं अध्यक्ष नगर सुधार न्यास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयुक्त, विकास प्राधिकरण / चैयरमेन, नगर सुधार न्यास" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(xvii) क्रम संख्या 75 के सामने कॉलम संख्या 8 में विद्यमान प्रविष्टि " सचिव जविप्रा / जोविप्रा / सचिव, नगर सुधार न्यास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सचिव, विकास प्राधिकरण / सचिव, नगर सुधार न्यास" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(xviii) क्रम संख्या 75 के सामने कॉलम संख्या 9 में विद्यमान प्रविष्टि "आयुक्त, जविप्रा / जोविप्रा / अध्यक्ष नगर सुधार न्यास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयुक्त, विकास प्राधिकरण / चैयरमेन, नगर सुधार न्यास" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(xix) क्रम संख्या 76 के सामने कॉलम संख्या 8 में विद्यमान प्रविष्टि "सचिव जविप्रा / जोविप्रा / सचिव, नगर सुधार न्यास' के स्थान पर अभिव्यक्ति "सचिव, विकास प्राधिकरण / सचिव, नगर सुधार न्यास" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(xx) क्रम संख्या 76 के सामने कॉलम संख्या 9 में विद्यमान प्रविष्टि " आयुक्त जविप्रा / जोविप्रा / अध्यक्ष नगर सुधार न्यास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयुक्त, विकास प्राधिकरण / चैयरमेन, नगर सुधार न्यास" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(xxi) क्रम संख्या 76ए के सामने कॉलम संख्या 8 में विद्यमान प्रविष्टि " 1. सचिव जविप्रा / जोविप्रा 2. सचिव, नगर सुधार न्यास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सचिव, विकास प्राधिकरण / सचिव, नगर सुधार न्यास" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(xxii) क्रम संख्या 76ए के सामने कॉलम संख्या 9 में विद्यमान प्रविष्टि "1. आयुक्त - जविप्रा / जोविप्रा 2. अध्यक्ष नगर सुधार" के स्थान अभिव्यक्ति "आयुक्त, विकास प्राधिकरण / चैयरमेन, नगर सुधार न्यास" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(xxiii) क्रम संख्या 76बी के सामने कॉलम संख्या 8 में विद्यमान प्रविष्टि " 1. सचिव जविप्रा / जोविप्रा 2. सचिव, नगर सुधार न्यास" के स्थान पर अभिव्यक्ति " सचिव, विकास प्राधिकरण / सचिव, नगर सुधार न्यास" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(xxiv) क्रम संख्या 76बी के सामने कॉलम संख्या 9 में विद्यमान प्रविष्टि " 1. आयुक्त - जविप्रा / जोविप्रा 2. अध्यक्ष नगर सुधार" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयुक्त, विकास प्राधिकरण / चैयरमेन, नगर सुधार न्यास" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(xxv) क्रम संख्या 76सी के सामने कॉलम संख्या 8 में विद्यमान प्रविष्टि "1. सचिव - जविप्रा / जोविप्रा 2. सचिव, नगर सुधार न्यास" के स्थान पर अभिव्यक्ति " सचिव, विकास प्राधिकरण / सचिव, नगर सुधार न्यास" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(xxvi) क्रम संख्या 76सी के सामने कॉलम संख्या 9 में विद्यमान प्रविष्टि "1. आयुक्त - जविप्रा / जोविप्रा 2. अध्यक्ष नगर सुधार" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयुक्त, विकास प्राधिकरण / चैयरमेन, नगर सुधार न्यास" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(xxvii) क्रम संख्या 76डी एवं 76ई एवं उनकी प्रविष्टियां विलोपित की जायेंगी;

(xxviii) क्रम संख्या 76एफ के सामने कॉलम संख्या 8 में विद्यमान प्रविष्टि "1. सचिव - जविप्रा / जोविप्रा 2. सचिव, नगर सुधार न्यास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सचिव, विकास प्राधिकरण / सचिव, नगर सुधार न्यास" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(xxix) क्रम संख्या 76एफ के सामने कॉलम संख्या 9 में विद्यमान प्रविष्टि " 1. आयुक्त - जविप्रा / जोविप्रा 2. अध्यक्ष नगर सुधार" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयुक्त, विकास प्राधिकरण / चैयरमेन, नगर सुधार न्यास" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(xxx) क्रम संख्या 76जी एवं उनकी प्रविष्टियां विलोपित की जायेंगी;

(xxxi) क्रम संख्या 76एच के सामने विद्यमान कॉलम संख्या 5 में विद्यमान प्रविष्टि "60 दिवस" के स्थान पर अभिव्यक्ति "45 दिवस " प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(xxxii) क्रम संख्या 76आई एवं 76जे एवं उनकी प्रविष्टियां विलोपित की जायेंगी; और

(xxxiii) क्रम संख्या 76के के सामने विद्यमान कॉलम संख्या 5 में विद्यमान प्रविष्टि "7 दिन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "7 दिन (पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के पश्चात) " प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(6) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 18 के सामने कॉलम संख्या 3 की क्रम संख्या 113 के सामने कॉलम संख्या 5 में विद्यमान अभिव्यक्ति "3 दिन (संबंधित दस्तावेज संलग्न करने पर), जहां कही भी

प्रयुक्त हुई हैं" के स्थान पर अभिव्यक्ति " 15 दिन (संबंधित दस्तावेज संलग्न करने पर) " में प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(7) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 21 के सामने कॉलम संख्या 3 के,

(i) क्रम संख्या 128बी के सामने कॉलम संख्या 4 के मद 2 के सामने कॉलम संख्या 7 में विद्यमान विराम चिन्ह "-" के स्थान पर अभिव्यक्ति " औद्योगिक क्षेत्र के संबंधित प्रभारी अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(ii) क्रम संख्या 128बी के सामने कॉलम संख्या 4 के मद 2 के सामने कॉलम संख्या 8 में विद्यमान प्रविष्टि "सलाहकार (इन्फ्रास्ट्रक्चर), रीको" के स्थान पर अभिव्यक्ति " संबंधित इकाई प्रभारी रीको" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(iii) क्रम संख्या 128बी के सामने कॉलम संख्या 4 के मद 2 के सामने कॉलम संख्या 9 में विद्यमान प्रविष्टि "प्रबंध निदेशक, रीको" के स्थान पर अभिव्यक्ति " महाप्रबंधक (सिविल) रीको" प्रतिस्थापित की जायेंगी; और

(iv) क्रम संख्या 128बी के सामने कॉलम संख्या 4 के मद 3 एवं 4 के कॉलम संख्या 7 में विद्यमान विराम चिन्ह "-", जहां कही भी प्रयुक्त हुआ हैं" के स्थान पर अभिव्यक्ति "संबंधित इकाई प्रभारी को छोड़कर संबंधित इकाई/उप इकाई कार्यालय का वरिष्ठतम तकनीकी अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेंगी; और

(8) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 22 के सामने कॉलम संख्या 3 के;

(i) क्रम संख्या 129 के सामने कॉलम संख्या 7 में विद्यमान प्रविष्टि "जिलास्तरीय श्रम अधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "श्रम निरीक्षक" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(ii) क्रम संख्या 129 के सामने कॉलम संख्या 9 में विद्यमान प्रविष्टि "संयुक्त श्रम आयुक्त' के स्थान पर अभिव्यक्ति "श्रम कल्याण अधिकारी / सहायक / उप श्रम आयुक्त " प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(iii) क्रम संख्या 129 के सामने कॉलम संख्या 10 में विद्यमान प्रविष्टि " अतिरिक्त श्रम आयुक्त" के स्थान पर अभिव्यक्ति "संयुक्त श्रम आयुक्त' प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(iv) क्रम संख्या 130 के सामने कॉलम संख्या 9 में विद्यमान प्रविष्टि "संयुक्त श्रम आयुक्त" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अतिरिक्त श्रम आयुक्त (आई. आर.)" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(v) क्रम संख्या 130 के सामने कॉलम संख्या 10 में विद्यमान प्रविष्टि " अतिरिक्त श्रम आयुक्त" के स्थान पर अभिव्यक्ति "श्रम आयुक्त" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(vi) क्रम संख्या 131 के सामने कॉलम संख्या 9 में विद्यमान प्रविष्टि "संयुक्त श्रम आयुक्त" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अतिरिक्त श्रम आयुक्त (आई. आर.)" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(vii) क्रम संख्या 131 के सामने कॉलम संख्या 10 में विद्यमान प्रविष्टि " अतिरिक्त श्रम आयुक्त" के स्थान पर अभिव्यक्ति "श्रम आयुक्त" प्रतिस्थापित की जायेंगी,

(viii) क्रम संख्या 132 के सामने कॉलम संख्या 9 में विद्यमान प्रविष्टि "संयुक्त श्रम आयुक्त" के स्थान पर अभिव्यक्ति "संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(ix) क्रम संख्या 134 के सामने कॉलम संख्या 7 में विद्यमान प्रविष्टि "जिलास्तरीय श्रम अधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "संबंधित सहायक / उप / संयुक्त, श्रम आयुक्त" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(x) क्रम संख्या 134 के सामने कॉलम संख्या 9 में विद्यमान प्रविष्टि "संयुक्त श्रम आयुक्त" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अतिरिक्त श्रम आयुक्त (आई. आर.) " प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(xi) क्रम संख्या 134 के सामने कॉलम संख्या 10 में विद्यमान प्रविष्टि " अतिरिक्त श्रम आयुक्त" के स्थान पर अभिव्यक्ति "श्रम आयुक्त" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(xii) क्रम संख्या 135 के सामने कॉलम संख्या 7 में विद्यमान प्रविष्टि "जिलास्तरीय श्रम अधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "संबंधित सहायक / उप / संयुक्त, श्रम आयुक्त" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(xiii) क्रम संख्या 135 के सामने कॉलम संख्या 9 में विद्यमान प्रविष्टि " संयुक्त श्रम आयुक्त" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अतिरिक्त श्रम आयुक्त (आई. आर.) " प्रतिस्थापित की जायेंगी,

(xiv) क्रम संख्या 135 के सामने कॉलम संख्या 10 में विद्यमान प्रविष्टि "अतिरिक्त श्रम आयुक्त" के स्थान पर अभिव्यक्ति "श्रम आयुक्त" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(xv) क्रम संख्या 136 के सामने कॉलम संख्या 9 में विद्यमान प्रविष्टि "संयुक्त श्रम आयुक्त" के स्थान अभिव्यक्ति "अतिरिक्त श्रम आयुक्त (आई. आर.) " प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(xvi) क्रम संख्या 136 के सामने कॉलम संख्या 10 में विद्यमान प्रविष्टि " अतिरिक्त श्रम आयुक्त" के स्थान पर अभिव्यक्ति "श्रम आयुक्त" प्रतिस्थापित की जायेंगी;

(xvii) क्रम संख्या 137 के सामने कॉलम संख्या 9 में विद्यमान प्रविष्टि "संयुक्त श्रम आयुक्त" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अतिरिक्त श्रम आयुक्त (आई. आर.) " प्रतिस्थापित की जायेंगी; और

(xviii) क्रम संख्या 137 के सामने कॉलम संख्या 10 में विद्यमान प्रविष्टि " अतिरिक्त श्रम आयुक्त" के स्थान पर अभिव्यक्ति "श्रम आयुक्त " प्रतिस्थापित की जायेंगी;

[संख्या F16(1)RPG/2017]
राज्यपाल के आदेश से,
डॉ ओम प्रकाश बैरवा ,
संयुक्त शासन सचिव ।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।